

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:- प.1(1)नविवि/3/1976-पार्ट

जयपुर, दिनांक

06 OCT 2021

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य नियम, 1962 के नियम-4) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण के तहत यह नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार ने इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(1)नविवि/3/76 पार्ट-1। जयपुर दिनांक 03.09.2015 द्वारा अधिसूचित श्रीगंगानगर के नगरीय क्षेत्र के लिये तैयार किये गये मास्टर प्लान-2035 का अनुमोदन कर दिया है।

उक्त श्रीगंगानगर मास्टर प्लान-2035 की प्रति का अवलोकन नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से




(नवनीत कुमार)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 06/10/2021 में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय